ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। महोदय, यह भी देखा जा रहा है कि जो पीड़ित लोग हैं, उन्हें देने के लिए भी पैसा नहीं रहता है। निर्भया फंड गुजरात में तो इंक्रीज़ हो रहा है, मगर ओडिशा और बाकी पाँच राज्यों में इस फंड के फ्लो में इतना इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से डिमांड करती हूं कि यह एक बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो रही है। जिन महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, उन पीड़ित महिलाओं को न्याय देने के लिए, उन्हें एड्रेस करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जितने केसेज़ लंबित हैं, उनका जल्दी से जल्दी निबटारा किया जाए। 'वन स्टॉप सैंटर' और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स में जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी केसेज़ का निबटारा किया जाए। इसके साथ ही इस फंड का भी अच्छी तरह से फ्लो हो। जो रेड टेपिज्म में बंद है, उसके लिए भी कभी-कभी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल की जरूरत होती है। यह हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि प्रशासनिक अधिकारी विधि व्यवस्था में इस फंड को किस तरह से जल्दी से जल्दी स्टेट्स को दिया जाए, जिसके कारण सभी बेनिफिटेड हों। महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि इसे सारे स्टेट्स और यूनियन टेरेटोरीज़ में लगाया जाए। उपसभापति जी, आपने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया है ,इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, वंदे उत्कल जननी।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour matter raised by the hon. Member, Shrimati Sulata Deo: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Sonal Mansingh (Nominated), Shri Niranjan Bishi (Odisha), and Dr. Amar Patnaik (Odisha).

माननीय सदस्यगण, यह जीरो ऑवर है और नियमत: जीरो ऑवर में जिनके नाम लिस्टिड हैं, केवल वे सदस्य ही बोल सकते हैं।...(**व्यवधान**)... माननीय विजय पाल सिंह तोमर जी, आप 'Demand for increasing credit limit of kisan credit card from Rupees Three Lakhs to Five Lakhs' विषय पर अपनी बात रखिए।...(**व्यवधान**)... केवल आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी, अन्य कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। ...(**व्यवधान**)...

Demand to increase the credit limit of Kisan Credit Card from Rs. 3 Lakh to Rs. 5 Lakh

श्री विजय पाल सिंह तोमर (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं किसानों की एक बड़ी परेशानी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। महोदय, अटल जी की सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड देकर साहूकार के शोषण से मुक्ति दिलाने का काम किया था। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने पशु पालकों और मत्स्य पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड देकर उनके जीवन में खुशहाली लाने का काम किया है। मैं इसके लिए सरकार तथा प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं। महोदय, किसान क्रेडिट कार्ड से पूर्व किसानों को साहूकारों से 24 परसेंट और 36 परसेंट ब्याज पर ऋण मिलता था। उस पर चक्रवर्ती ब्याज देने के कारण बहुत से किसान अपनी भूमि से हाथ धो बैठते थे और इस तरह से साहूकारों द्वारा किसानों का शोषण होता था। लेकिन अब किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से मात्र 3 लाख रुपये सालाना

ऋण मिलता है। यदि साल में एक दिन भी अधिक हो जाए, तो किसान को ऋण पर मिलने वाली ब्याज की छूट समाप्त हो जाती है। अभी 4 परसेंट ब्याज पर मिलता है। महोदय, किसान क्रेडिट कार्ड योजना आज से करीब 23-24 साल पहले शुरू की गई थी। तब से लेकर अब तक उर्वरक, बीज, कीटनाशक, दवाएँ, डीज़ल, पानी, मजदूरी की कीमत चार से छह गुना बढ़ गई है, लेकिन किसान को 3 लाख से अधिक का ऋण केसीसी पर नहीं मिलता है। महोदय, छोटी जोत के किसान हों या बड़ी जोत के किसान हों, किसानों को ऋण देते समय बैंक के द्वारा भूमि के कागज़ात ले लिए जाते हैं। एक वर्ष से एक दिन भी अधिक होने पर इनको ब्याज पर मिलने वाली छूट समाप्त हो जाती है। किसानों से 2 परसेंट से लेकर 3 परसेंट तक की अवैध वसूली करके बैंक के कर्मचारी जमा दिखाकर अगले दिन निकला हुआ दिखा देते हैं। इस तरह से बैंक्स के कर्मचारियों द्वारा किसानों का शोषण होता है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि बढ़ती लागत को देखते हुए लघु सीमांत किसान की किसान क्रेडिट कार्ड पर लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तथा बड़ी जोत के किसान के लिए यह सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक की जाए। केसीसी धारक किसानों को जो राशि सालाना जमा करनी पड़ती है, मैं उसके लिए भी यह कहना चाहता हूं कि हर साल उनसे केवल ब्याज ले लिया जाए और पाँच साल में एक बार पूरा क्लियर करने के लिए जमा किया जाए।

महोदय, मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि इस संबंध में वित्त राज्य मंत्री ने कहा है कि यह क्रॉप लोन है, इसे साल में जमा करना होगा, परंतु मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि क्रॉप लोन भी तो सरकार ने ही बनाया है, इसलिए अब इसको बदल देना चाहिए। इसको किसान पाँच साल में एक बार क्लियर करे और हर साल ब्याज जमा करता रहे। माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour matter raised by the hon. Member, Shri Vijay Pal Singh tomar: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri Brij Lal (Uttar Pradesh), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Dr. Ashok Bajpai (Uttar Pradesh), Shrimati Ramilaben Becharbhai Bara (Gujarat), Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Shri Samir Oraon (Jharkhand), Shrimati S. Phangnon Konyak (Nagaland), Shri Vivek Thakur (Bihar) and Dr. Amar Patnaik (Odisha).

Demand to rename Bogaigaon Refinery as Dhaligaon Refinery

SHRI RWNGWRA NARZARY (Assam): Mr. Deputy Chairman, Sir, there is a petroleum refinery of IOCL, located at Dhaligaon in the district of Chirang, under Bodoland Territorial Region, Assam, which is known as IOCL, Bongaigaon Refinery. The IOCL Bongaigaon Refinery came into existence after the merger of Bongaigaon